न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 157/2022
ऑनलाईन नम्बर 2022/168

निर्णय दिनांक: 24.06.2025

पुनमचंद पुत्र राजूराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजूराम पुत्र भोपाराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. गीतादेवी पुत्री भोपाराम पत्नी नारायणराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर हाल गायत्री नगर, वार्ड नम्बर 02 चूरू।
3. भीखीदेवी पुत्री भोपाराम पत्नी राधाकिशन जाति पुरोहित निवासी तोलियासर हाल गढ़ के पास, सादुलपुर राजगढ़ जिला चूरू।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर
3. अप्रार्थी सं. 3 की विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त अनुवानी दावा मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हैं। जिसमें वादी को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का वंशवृक्ष निम्नानुसार है —

भोपाराम (फौत)

सुगनीदेवी (फौत पत्नी)	गीतादेवी पुत्र	भीखीदेवी पुत्र	राजूराम पुत्र

प्रार्थी स्व. भोपाराम का पौत्र व अप्रार्थी संख्या 1 का जायंदा पुत्र है, सुगनीदेवी, भोपाराम की पत्नी थी। स्व. सुगनीदेवी प्रार्थी की दादी थी, प्रार्थी के दादा स्व. भोपाराम व दादी स्व. सुगनीदेवी की मृत्यु हो चुकी हैं। स्व. सुगनीदेवी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर रोही भौजी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें सुगनीदेवी का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज हैं। सुगनीदेवी ने उक्त खेत के अपने 1/2 हिस्सा पर ट्यूब वैल करवा रखा था, परन्तु ट्यूब वैल में पानी खत्म होने के कारण ट्यूब वैल को बंद कर दिया गया। सुगनीदेवी के पति भोपाराम की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दिनांक 10.04.2005 को हो गई थी। भोपाराम की मृत्यु के बाद सुगनीदेवी अपने पौत्र (प्रार्थी) के साथ अलग रहने लग गई थी । वादी सन् 2005 से सुगनीदेवी के साथ रहता: चला आ रहा था । प्रार्थी ने सुगनीदेवी का भरण पोषण, सेवा, चाकरी व स्वास्थ्य सेवा आदि सुगनीदेवी अंतिम समय तक की थी। सुगनीदेवी की मृत्यु के बाद वादी ने समस्त सामाजिक रिती रिवाज से क्रियाक्रम आदि अपने खर्च से किया था। प्रार्थी अपनी दादी सुगनीदेवी के जीवनकाल से ही वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर के 1/2 हिस्सा को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं वादगत खेत सुगनीदेवी व अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम को अपने पति/पिता भोपाराम की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रियां/बहिनों अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा परित्याग कर देने से प्राप्त हुआ हैं। स्व. सुगनीदेवी ने वादगत खेत पर लाखो रूपयों खर्च कर उपजाऊ बनाया था। वादगत खेत सुगनीदेवी का स्वअर्जित है।प्रार्थी की दादी स्व. सुगनीदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.06.2020 को वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दी थी। सुगनीदेवी की मृत्यु दिनांक 05.06.2022 को हो चुकी है। प्रार्थी की दादी सुगनीदेवी ने वादगत खेत की वसीयत अपनी ईच्छा व मर्जी से की थी। सुगनीदेवी की मृत्यु के बाद वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा की खातेदारी मुताबित वसीयत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 4, अप्रार्थी संख्या 1 से मिला हुआ होने के कारण प्रार्थी को वादगत खेत का इंतकाल मुताबिक वसीयत नही किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष आपति प्रस्तुत की अप्रार्थी संख्या 4 ने वादी को बिना सुने ही, बिना कोई कार्यवाही किये बाला बाला ही इंतकाल दर्ज करने का आवेदन खारिज कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से निवेदन किया कि स्व. सुगनीदेवी ने अपने 1/2 हिस्सा की वसीयत मेरे पक्ष अपनी मर्जी व ईच्छा से की थी, आप लोगो ने तहसील कार्यालय में मेरे खिलाफ गलत आधारों पर आपति की है, आपति को विड्रो कर मुताबिक वसीयत वादगत खेत की खातेदारी मेरे नाम से दर्ज करवा दो तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने धमकी कि हम वसीयत के आधार पर खातेदारी दर्ज नही करवायेगें और हमारे नाम से खातेदारी दर्ज करवाकर तुम्हे वादगत खेत से बेदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में वादी के पास वादगत खेत की खातेदारी मुताबिक वसीयत दर्ज करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है, इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा वादगत खेत की खातेदारी की घोषणा के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा हैं अप्रार्थीगण ने दिनांक 04.07.2022 को वादी को धमकी दी कि हम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर व सांठ–गांठ कर वादगत खेत की खातेदारी हमारे नाम से दर्ज करवाकर तुम्हे बेदखल कर देगें तथा वादगत खेत की हमें अच्छी रकम मिल रही है, इसलिए खेत की खातेदारी हमारे नाम से दर्ज करवाकर खेत को किसी अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर मु[illegible] अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वादगत खेत स्व. सुगनीदेवी के नाम से था, [illegible] ने अपने जीवनकाल में वादगत खेत की वसीयत मेरे नाम से कर दी [illegible] खातेदारी वसीयत के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पर मेरे नाम से दर्ज होने दो, ईतना कहते ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि हम किसी भी सूरत में वादगत खेत की खातेदारी तुम्हारे नाम से दर्ज नही होने देगें और तुम्हे बेदखल कर हम कब्जा कर लेगें । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर की 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की गई हैं। प्रार्थी का वादगत खेत पर निरन्तरण कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दिनांक 04.07.2022 को ऐलानियां धमकी दी है कि तुम्हे बेदखल कर वादगत खेत पर कब्जा कर लेगें। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर की 1/2 हिस्सा की वसयीत प्रार्थी के पक्ष में की हुई है। प्रार्थी के पक्ष में 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जाकर मौका पर कब्जा, काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 188 तादादी 6.1700 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगगरढ़ जिला बीकानेर में 1/2 हिस्सा प्रार्थी के स्व. सुगनीदेवी द्वारा वसीयत करने के बाद से कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग निरन्तर बिना किसी रोक–टोक के चला आ रहा हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता हैं । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वो प्रार्थी को उसके कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग के खेत से बेदखल करके किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके प्रार्थी को बेदखल करने में सक्रिय हुये हुये हैं । यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी को वादगत खेत से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से प्रार्थी को बेदखल नही करें, कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, प्रवेश नही करें, खेत को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण आदि नही करें, ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करें जिससे प्रार्थी के वैद अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम के प्रार्थी के अलावा श्रवण कुमार, अशोक व कंचन (पुत्र व पुत्री) हैं । जिनको प्रार्थी ने मदहाजा में वर्णित वंशावली में वर्णित नही किया हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित स्व. भोपाराम का प्रार्थी पौत्रं व अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम का पुत्र होना स्वीकार है, लेकिन प्रार्थी नें स्व. भोपाराम के सभी पौत्र–पौत्री का जानबूझकर नाम अंकित नही किया है। प्रार्थी ने दुर्भानावंश केवल मात्र अपना ही नाम अंकित किया है जो स्वीकार नही व इन्कार किया जाता हैं । प्रार्थी के दादा स्व. भोपाराम व दादी सुगनीदेवी की मृत्यु हो चुकी हैं। स्व. सुगनीदेवी व अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जो अभी अविभाजित संयुक्त खातेदारी का खेत हैं, उक्त खेत में दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा भूमि दर्ज हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर में स्व. सुगनीदेवी ने ट्यूब वैल नही बनाया था बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम ने अपने 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में सिंचाई हेतु ट्यूब वैल का निर्माण करवाया था व राजूराम ने ही उक्त ट्यूब वैल का तमाम खर्चा वहन किया था तथा राजूराम के नाम से ही विद्युत कनेक्शन जारी हुआ था, सुगनीदेवी द्वारा ट्यूब वैल बनवाने के तथ्य प्रार्थी ने गलत अंकित किया है जो स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है। स्व. भोपाराम की मृत्यु होने के बाद श्रीमति सुगनीदेवी कभी भी प्रार्थी के साथ नहीं रही बल्कि भोपाराम के जीवनकाल में ही सुगनीदेवी व भोपाराम अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम के साथ ही रहते थे व राजूराम ने ही उनका भरण पोषण किया था। प्रार्थी ने सुगनीदेवी का कभी भी भरण पोषण, सेवा, चाकरी, स्वास्थ्य सेवा आदि नहीं की थी, बल्कि सुगनीदेवी अंतिम समय तक राजूराम के साथ ही रही थी व अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम ने ही उनका दाह संस्कार व मृत्यु के बाद समस्त सामाजिक रीति रिवाज व क्रियाक्रम आदि किया था। प्रार्थी की अपनी दादी सुगनीदेवी के जीवनकाल से ही वादगत खेत खसरा नम्बर 288 में से 1/2 हिस्सा पर ना तो कब्जा, काश्त रही है ना ही आज वादगत खेत पर प्रार्थी का कोई कब्जा, काश्त हैं। वादगत खेत स्व. सुगनीदेवी की स्वअर्जित सम्पति नही होकर स्व. भोपाराम की खातेदारी भूमि है, जिसका भोपाराम की मृत्यु के बाद सुगनीदेवी व राजूराम ने नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ था । स्व. सुगनीदेवी ने वादगत खेत पर लाखो रूपये खर्च कर कभी भी उपजाऊ नही बताया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम ने अपने कठिन परिश्रम से वादगत खेत की सार–संभाल व उपजाऊ बनाया हैं। स्व. सुगनीदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.06.2020 को वादगत खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर में स्थित अपने 1/2 हिस्सा भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में नही की थी। सुगनीदेवी एक वृद्ध, बीमार, अनपढ़ महिला थी। जिसे अपनी मृत्यु से पूर्व आंखो से दिखाई भी कम देता था व कानो से सुनाई भी कम देता था। जो सोचने सझमने की स्थिति में नही थी। प्रार्थी एक चालाक व चतुर प्रवृति का व्यक्ति है, जिसने सुगनीदेवी को बहला फुसलाकर वृद्धावस्था ... के लिए कहकर अपने साथ उप पंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ ... खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 5.4800 हैक्टेयर रोही तोलियासर ... सुगनीदेवी के हिस्से की 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हिस्सा भूमि का प्रार्थी ने अपने नाम से उपहार पत्र निष्पादित करवा लिया। सुगनीदेवी की मृत्यु दिनांक 05.06.2022 को नही हुई थी बल्कि सुगनीदेवी की मृत्यु दिनांक 05.06.2021 को हुई थी । सुगनीदेवी ने ना तो प्रार्थी के पक्ष में कोई वसीयत की व ना ही वादगत खेत का कब्जा संभलाया, बल्कि वादी ने 94 वर्ष की बूढ़ी महिला को बहला फुसलाकर तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में वृद्धावस्था पैशन बनवाने का कहकर अंगूठा करवाया गया जो कि कानूनन गलत हैं ना ही वसीयत रजिस्टर्ड हैं । प्रार्थी द्वारा गलत व मिथ्या की गई वसीयत को अप्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय् श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष आपति पेश की गई, जिस पर तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ ने दोनों पक्षो को सुनकर दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थी द्वारा वादगत खेत का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया प्रार्थी ने ना तो अप्रार्थीगण से कभी निवेदन किया व ना ही सुगनीदेवी ने अपने जीवकाल में वादगत खेत के 1/2 हिस्सा भूमि की अपनी ईच्छा से कभी वादी के पक्ष में वसीयत की गई। तमाम तथ्य प्रार्थी ने अंकित किये है जो स्वीकार नही व इन्कार किये जाते हैं। जब प्रार्थी द्वारा मिथ्या व कुटरचित वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दोनों पक्षो को सुनकर दिनांक 30.09.2021 को खारिज कर दिया तो अब प्रार्थी किसी भी प्रकार से वादगत खेत में हिस्सा की घोषणा करवाने का कतई अधिकारी नही है ना ही प्रार्थी घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं। क्योंकि वादगत खेत स्व. सुगनीदेवी की स्वअर्जित सम्पति नही होकर विरासतन पैतृक सम्पति है जिसकी वसीयत करने का सुगनीदेवी को कोई अधिकार नही हैं। जब दिनांक 04.07.2022 को अप्रार्थीगण प्रार्थी से मिले ही नही तो अप्रार्थीगण द्वारा वादी को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। स्व. सुगनीदेवी का प्रार्थी के पक्ष में की गई मिथ्या व कुटरचित दस्तावेजात को अप्रार्थीगण द्वारा आपति प्रस्तुत करने पर सक्षम न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा खारिज फरमा दी गई तो उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई अधिकार व हिस्सा नही बनता हैं, तमाम तथ्य प्रार्थना पत्र की रचना हेतु गलत तथ्य वर्णित किये है जो स्वीकार नही व इन्कार किये जाते हैं। जब प्रार्थी का वादगत भूमि पर कोई कब्जा ही नही है तो कब्जे के अभाव में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। जब प्रार्थी द्वारा वर्णित तथाकथित वसीयत ही निरस्त फरमा दी गई तो अब उसीं फर्जी वसीयत का बार-बार जप करने से कोई अधिकार हासिल नही होता हैं । प्रार्थी का ना तो पहले वादगत खेत पर कब्जा था ना ही अब कब्जा, काश्त हैं । जब प्रार्थी दिनांक 04.07.2022 को अप्रार्थीगण से मिले ही नही तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही बल्कि खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ना तो वादगत भूमि का खातेदार है ना ही कब्जा, काश्त हैं। जब वादगत खेत पर प्रार्थी की कोई कब्जा, काश्त ही नही है। बल्कि वादगत खेत पर कब्जा, काश्त अप्रार्थीगण का ही है जब ना तो कब्जा, काश्त है ना ही खातेदारी है तो प्रार्थी किस हैसियत से वादगत खेत का विभाजन करवाना चाहता है। स्व. ... का खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर ... तादादी 5.4800 हैक्टेयर रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तोलियासर में स्थित है। प्रार्थी ने बेईमानीपूर्वक, छल, कपट कर सुगनीदेवी को वृद्धावस्था पेशन बनवाने का झूठा आश्वासन देकर तहसील कार्यालय में ले जाकर खसरा नम्बर 609 तादादी 5.4800 हैक्टेयर भूमि में से सुगनीदेवी के नाम 1/2 हिस्सा का अपने नाम से उपहार पत्र निष्पादित करवा लिया तथा अब तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.17 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर में सुगनीदेवी के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने अकेले के नाम से दर्ज करवाना चाहता हैं। सुगनीदेवी की मृत्यु के बाद सुगनीदेवी के 1/2 हिस्सा भूमि में सुगनीदेवी के सभी वारिसान का हिस्सा निहित हो गया है, इसलिए प्रार्थी को वादगत खेतों के संबंध में सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी की अपने नाम से घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। फलस्वरूप प्रार्थी के प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही बल्कि खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने स्व. भोपाराम व अप्रार्थी संख्या 1 के सम्पूर्ण वारिसान की वंश वंशावली प्रस्तुत नही की गई है बल्कि प्रार्थी स्वयं अकेला ही अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र होना वर्णित किया हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम ने प्रार्थी व प्रार्थी के अलावा अशोक, श्रवण कुमार, कंचन (पुत्रध्पुत्री) है, जिन्हे दावा/प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है प्रार्थना पत्र पक्षकारो के कुंसयोजन से ग्रसित होने के कारण कानूनी वारिसान को दावा/प्रार्थना पत्र में पक्षकारो के कुंसयोजन के अभाव मे प्रार्थी का दावा/प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं। स्व. भोपाराम के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.1700 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 5.4800 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर में स्थित है । स्व. भोपाराम की मृत्यु के बाद वादगत खेतो की खातेदारी उनके कानूनी वारिसान सुगनीदेवी, राजूराम, भीखी, गीता के नाम दर्ज हो गई। कालान्तर में भीखी व गीता ने अपने हिस्से की भूमि को सुगनीदेवी व राजूराम को जरिये परित्याग पत्र अपना–अपना हिस्सा इनको दे दिया। भोपाराम के जीवनकाल से ही स्व. सुगनीदेवी अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम के साथ ही रहती थी व राजूराम ही उसका भरण पोषण व सेवा, चाकरी करता था। प्रार्थी ने बेईमानीपूर्वक, छल, कपट कर सुगनीदेवी को वृद्धावस्था पेशन बनवाने का झूठा आशवासन देकर तहसील कार्यालय में ले जाकर खसरा नम्बर 609 तादादी 5.4800 हैक्टेयर भूमि में से सुगनीदेवी के नाम 1/2 हिस्सा का अपने नाम से उपहार पत्र निष्पादित करवा लिया तथा अब तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर खेत खसरा नम्बर 288 तादादी 6.17 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर में सुगनीदेवी के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने अकेले के नाम से दर्ज करवाना चाहता हैं। सुगनीदेवी की मृत्यु के बाद सुगनीदेवी के 1/2 हिस्सा भूमि में सुगनीदेवी के सभी वारिसान का हिस्सा निहित हो गया है, इसलिए प्रार्थी को वादगत खेतो के संबंध में सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी की अपने नाम से घोषणा करवाने का [illegible] हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है, जो [illegible] माया जावें । सुगनीदेवी ने खेत खसरा नम्बर 609 की 1/2 हिस्सा [illegible] को व खातेदारी को प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के पक्ष में दिनांक 09.09.2020 को गुपचुप रूप से विधि विरूद्ध व वादगत खेतो का बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाये गलत तरीके से उपहार पत्र पंजीबद्ध करवाया हैं, जो शुरु से ही शून्य व प्रभावहीन है जिसको शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व से ही अनुवानी दावा/प्रार्थना पत्र अशोक बनाम सुगनी विचाराधीन हैं। उक्त दावा/प्रार्थना पत्र का प्रार्थी ने इस दावा/प्रार्थना पत्र में कहीं पर वर्णन नही किया हैं। प्रार्थी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 व स्व. सुगनीदेवी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में पैतृक तौर पर संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा पर हक व हिस्सा बनता हैं। इससे ज्यादा भूमि पर प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। वादगत भूमि स्व. सुगनीदेवी की पैतृक भूमि है जिसे वह किसी भी प्रकार से वसीयत नही कर सकती हैं। वादगत भूमि सुगनीदेवी की स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर विरास्तन पैतृक सम्पति है। वादगत दावा/प्रार्थना पत्र व "अशोक बनाम सुगनी" दावा/प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु व समान पक्षकार व समान अनुतोष प्राप्ति का है लेकिन प्रार्थी ने अपने दावा/प्रार्थना पत्र में पूर्ववर्ति दावा/प्रार्थना पत्र का अपने वाद–पत्र/प्रार्थना में कहीं पर भी अंकन नहीं किया हैं। प्रार्थी ने जानबूझकर पूर्ववर्ति दावा/प्रार्थना पत्र का कोई विवेचन नही किया हैं। कानूनन वादगत दावा/प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्टेज पर स्थगित की जानी चाहिए। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष क्लीन हैण्ड् से नही आया है, जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आता है वो न्यायालय श्रीमान् से किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थी का ना तो वादगत भूमि पर कब्जा है ना ही काश्त हैं। कब्जे के अभाव में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त नही कर सकता हैं। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2021 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय् श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सुगनीदेवी द्वारा वादगत खेत के 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की गई है उसी वसीयत के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावें। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आपति पेश की गई व श्रीमान् तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दोनों पक्षो की सुनवायी की जाकर समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर तथाकथित वसीयत गुपचुप रूप से कुटरचित फर्जी वसीयत के आधार पर वादगत भूमि को स्व. सुगनीदेवी की पैतृक सम्पति मानते हुये प्रार्थी की दरख्वास्त को दिनांक 30.09.2021 को खारिज फरमाया गया। प्रार्थी उसी फर्जी व गैरकानूनी रूप से गुपचुप करवायी गई फर्जी वसीयत जो निरस्त फरमायी जा चुकी है उसे छिपाकर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया है जो कानूनन किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत [illegible] 6.1700 हैक्टेय वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ का निर्धारण [illegible] में पूर्ण साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना उचित प्रतीत होता [illegible] खुर्द–बुर्द कर दिया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनायें रखना है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested